मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक : एल 1–10 /951/2020/ब–7/डीएमसी/चार/ भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2020
प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21** – बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स / देयकों के आहरण के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एल 1–10/316/2020/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2020

——000——

1. संदर्भित परिपत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखानुदान अध्यादेश (क्रमांक –1 सन् 2020) से कोषालय से आहरण की व्यवस्था के संबंध में जारी निर्देशों के अवलोकन का अनुरोध है ।

1.1 .मध्य प्रदेश विनियोग अध्यादेश (क्रमांक –6 सन् 2020) के माध्यम से लेखानुदान अध्यादेश (क्रमांक –1 सन् 2020) के प्रावधानों को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विभिन्न मॉग संख्याओं में अनुदान प्राप्त किया गया है। म.प्र. विनियोग अध्यादेश, (क्रमांक –6 सन् 2020) के अनुसार मांग संख्यावार बजट पुस्तके प्रकाशित हैं एवं वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(I) <u>बजट आवंटन</u> –

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 में आय–व्यय के संतुलन तथा मितव्ययता की दृष्टि से कोषालय से आहरण की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुक्त श्रेणी के व्ययों हेतु संलग्न **<u>परिशिष्ट–1</u>** अनुसार बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का 100 प्रतिशत आवंटन जारी किया जाता हैं ।

(ii) परिशिष्ट–1 के अतिरिक्त अन्य बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का 80 प्रतिशत आवंटन जारी किया जाता हैं ।

(iii) इसके अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होने पर विभाग संलग्न **<u>परिशिष्ट–2</u>** अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा ।

//2//

(II) <u>व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना –</u>

3. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :–

(i) सामान्य श्रेणी के व्यय (ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी– अधोलिखित कण्डिका (ii) में वर्गीकृत न हो)

(ii) 'मुक्त' श्रेणी के व्यय – ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में मासिक/त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो । (वेतन–भत्ते–मजदूरी /न्यायालयीन डिक्री /छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति / प्राकृतिक आपदा/ऋण अदायगी आदि अतिआवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है। ऐसे व्ययों पर मासिक/त्रैमासिक /विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी।)

4. कंडिका 3 (i) अनुसार वर्गीकृत सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए निम्नांकित तीन प्रकार के नियंत्रण रहेंगे :–

(क) मासिक व्यय सीमा

(ख) त्रैमासिक व्यय सीमा

(ग) विशेष व्यय सीमा

4.1 जब तक विशेष व्यय सीमा नियत करने संबंधी आदेश, यदि कोई हो, में अन्यथा उल्लेखित न हो, सामान्य श्रेणी के व्ययों पर मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं, दोनों पृथक–पृथक लागू होंगी ।

4.2 <u>मासिक व्यय सीमा –</u>

मासिक व्यय सीमा बजट नियंत्रण अधिकारी (बी.सी.ओ.) पर लागू होगी । मासिक व्यय सीमा, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर बजट नियंत्रण अधिकारी को उपलब्ध शेष वार्षिक आवंटन की 10 प्रतिशत राशि होगी । निर्धारण का आधार **<u>परिशिष्ट–3</u>** में दर्शाया गया है।

4.3 **<u>त्रैमासिक व्यय सीमा –</u>**

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा । प्रथम दो त्रैमास में अधिकतम 45 प्रतिशत, प्रथम तीन त्रैमास में अधिकतम 70 प्रतिशत तथा (केवल) चतुर्थ त्रैमास हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है । निर्धारण का आधार **<u>परिशिष्ट–4</u>** में दर्शाया गया है ।

त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (योजना स्तर तक) पर लागू होगी । योजना में पृथक–पृथक सेगमेंट होने पर सेगमेंट कोड अनुसार व्यय सीमा रहेगी।

4.4 <u>विशेष व्यय सीमा –</u>

विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के स्थान पर निर्धारित की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष माहों हेतु पूँजीगत कार्यो के लिए विशेष व्यय सीमा **<u>परिशिष्ट–5</u>** के अनुसार होगी । उक्त विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर लागू मानी जाएगी, अर्थात् उल्लेखित अवधि के दौरान उल्लेखित व्यय शीर्षो पर केवल उल्लेखित व्यय सीमा लागू होंगी, मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं लागू नहीं होंगी ।

4.5 **मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन –**

अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ को राशि हस्तांतरित करता है, तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को, पहले बीसीओ की मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा ।

यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षो में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

(III) **आहरण से छूट** –

5. निम्न निर्देश सभी श्रेणियों के व्यय (सामान्य, विशेष एवं मुक्त श्रेणी) पर लागू होंगे।

(i) निर्माण कार्य विभाग/वन विभाग (WDDF /FDDF के देयकों) सहित केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित) योजनाओं एवं शेष योजनाओं हेतु **रूपये 25 करोड़** से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है।

(ii) वित्त विभाग से अनुमति के उपरांत ही **परिशिष्ट–6** में वर्णित योजनाओं में राशि का आहरण सुनिश्चित किया जाये ।

(iii) सभी प्रकार के देयकों के आहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।

(iv) सभी प्रकार के आहरण में प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों (Delegated Financial Powers) का अनिवार्यतः पालन किया जावे । जिन प्रकरणों में वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित नहीं है, उनमें वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही देयक शासकीय कोष से आहरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

(v) वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में संलग्न **परिशिष्ट–7** अनुसार जानकारी प्रेषित की जाये ।

(IV) **अन्य निर्देश** –

(i) बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस बजट आवंटन आदेश से जारी होने वाला बजट IFMIS के माध्यम से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ii) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

(iii) मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के नियम 9 में वर्णित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों तथा शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। बजट आवंटन से अधिक के नवीन कार्यों/दायित्व निर्मित नहीं किये जाऐं। उपलब्ध बजट आवंटन से सर्वप्रथम पुराने लंबित दायित्वों का निराकरण किया जाए।

(iv) हितग्राही मूलक योजनाओं में उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाएं।

(v) किसी भी योजनांतर्गत राशि के आहरण की स्वीकृति तब तक जारी नहीं की जाए जब तक कि देयता निर्मित नहीं हो गई हो।

(vi) केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केंद्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात् ही केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाना चाहिये। जिन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के अधिकतम दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।

(vii) बजट के कुछ शीर्षो में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों से धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा में किया गया है । ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जायेगा । जिन क्षेत्रों/योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि/बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव इसी वित्तीय वर्ष में यथा समय वित्त विभाग को भेजे जायें । प्रशासकीय विभाग द्वारा आवधिक समायोजन के आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व जारी करने की कार्यवाही की जाए।

(viii) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदों में रखे गये प्रावधानों के विरूद्ध व्यय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमॉक–347/आर.1703/चार/ब–1/2012 दिनांक 31.03.2017 में उल्लेखित सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन के उपरांत किया जाये ।

(ix) नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।

(x) वित्त विभाग द्वारा समय–समय सीमा पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये । इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ-क्रमांक एल .1-10/952 /डी.एम.सी./2020/चार भोपाल दिनांक 27/07/2020

प्रतिलिपि-:

01. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राज्यभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेशजबलपुर। ,
04. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
05. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
06. सचिव लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
07. महाधिवक्ताउपमहाधिवक्ता/, मध्यप्रदेश भोपालग्वालियर।/इन्दौर/
08. महालेखाकार (आडिट/लेखा और हकदारी) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियरभोपाल।/
09. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्य प्रदेश, मंत्रालय, भोपाल।
11. समस्त सचिव / संचालक बजट / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
12. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग

मुक्त श्रेणी के व्यय

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
(क)	छात्रवृत्ति के निम्न मद।	• उद्देश्य शीर्ष – # 41 विस्तृत शीर्ष 002 एवं 003
(ख)	जहॉ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों /छात्रवृत्ति का भुगतान होता हो।	• उद्देश्य शीर्ष – # 42 विस्तृत शीर्ष 002 • मांग संख्या – 53 मुख्य शीर्ष – 2202 योजना कमॉक – 8403 उद्देश्य शीर्ष – # 42, विस्तृत शीर्ष 009 • मांग संख्या – 27, 33 एवं 40 योजना कमॉक – 4396, 3491, 3496, 2773, 0581, 5216 उद्देश्य शीर्ष – # 42, विस्तृत शीर्ष – 009 • मांग संख्या – 64 मुख्य शीर्ष – 2202 योजना कमॉक – 2669 उद्देश्य शीर्ष # 42, विस्तृत शीर्ष 009
(ग)	जहॉ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे– प्राकृतिक–आपदा आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान, राहत राशियां इत्यादि)	• मांग संख्या – 58
	अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	• मांग संख्या – 33, मुख्य शीर्ष – 2225, योजना कमॉक – 5191 • मांग संख्या – 49, मुख्य शीर्ष – 2225, योजना कमॉक – 5191
(घ)	न्यायालयीन आदेश/डिक्री से संबंधित भुगतान	• उद्देश्य शीर्ष :– # 53
(ड.)	शासन की ऐसी देयताएं, जहॉ निधारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे– ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां)	• मांग संख्या – . (Dot) • मांग संख्या – .. (Double Dot) • मांग संख्या – 11, मुख्य शीर्ष – 4851 एवं 4875, योजना कमॉक – 7341 एवं 7879 उद्देश्य शीर्ष – # 68 • मांग संख्या – 06 मुख्य शीर्ष – 2071 एवं 6075 योजना कमॉक – 6787, 6788, 6842 मुख्यशीर्ष – 7610 योजना कमॉक – 9084, 9085 • मांग संख्या – 24, मुख्य शीर्ष – 5054, योजना कमॉक – 6738, उद्देश्य शीर्ष – # 68
(च)	स्थापना व्यय	• उद्देश्य शीर्ष :– # 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 21 • उद्देश्य शीर्ष :– # 22 विस्तृत शीर्ष – 001, 002, 004, 005, 007, 009, 011 एवं 014

(छ)	अन्य आवश्यक व्यय	• मांग संख्या – 07, योजना कमॉक – 0123 एवं 1111 उद्देश्य शीर्ष – # 34–001 • मांग संख्या – 10, योजना कमॉक – 9664, 9665, 9666, 9667, 9668 एवं 9669 • मांग संख्या – 12, योजना कमॉक – 2362, 5378, 5381, 5855 एवं 7313 • मांग संख्या – 30 एवं 53 योजना कमॉक –6255, उद्देश्य शीर्ष –# 42–009 • मांग संख्या – 53 योजना कमॉक – 8214, उद्देश्य शीर्ष –#42–009 योजना कमॉक – 6299, उद्देश्य शीर्ष –#42–007 • मांग संख्या – 55, योजना कमॉक –5643, उद्देश्य शीर्ष –# 31–004 • मांग संख्या – 64, योजना कमॉक –8018, उद्देश्य शीर्ष –# 42–008 योजना कमॉक –1425, उद्देश्य शीर्ष –# 45–001

परिशिष्ट–2

बजट अनुमान 2020–21 में प्रावधानित शेष आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

(राशि लाख में)

I

बजट शीर्ष	बजट प्रावधान	उपलब्ध आवंटन	पुनर्विनियोजन से वृद्धि/कमी	कुल उपलब्ध आवंटन (5=3+4)	अद्यतन व्यय	शेष उपलब्ध आवंटन (7=5-6)	अतिरिक्त आवश्यक राशि	आवश्यकता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II कंडिका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन से किये जाने के संबंध में टीप दे ।

III यदि कंडिका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित अथवा राज्य शासन से पृथक किसी अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित है, तो ऐसी सहायता राशि/केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दे ।

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगा :–

(A) =	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटोत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B) =	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से **कंडिका 3 (ii)** अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C) =	**कंडिका 4.4** के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लेखित बजट शीर्षो, जिन्हें मासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D) =	**(A) – (B) – (C)**
मासिक व्यय सीमा =	उपरोक्त **(D)** का 10 प्रतिशत

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगा :–

(A) =	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटोत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B) =	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से **कंडिका 3 (ii)** अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C) =	**कंडिका 4.4** के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लेखित बजट शीर्षो, जिन्हें मासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D) =	**(A) – (B) – (C)**

त्रैमासिक व्यय सीमा निम्नानुसार होगी :–

अवधि/त्रैमास	त्रैमासिक व्यय सीमा
Q1+Q2	उपरोक्त (D) का 45 %
Q1+Q2+Q3	उपरोक्त (D) का 70 %
Q4 (केवल)	उपरोक्त (D) का 30 %

परिशिष्ट–5

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र0	विभाग	मॉग एवं मुख्य शीर्ष	मासिक विशेष व्यय सीमा							
			अगस्त 2020	सितंबर 2020	अक्टूबर 2020	नवंबर 2020	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021
1	लोक निर्माण	**24, 67**–4059, 4216, 5054	375	375	375	375	375	375	375	375
2	जल संसाधन	**23, 45**–4700, 4701, 4702, 4705, 4711	350	350	350	350	350	350	350	350
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	**20**–4215	350	350	350	350	350	350	350	350
4	नर्मदा घाटी विकास	**48**–4700, 4701, 4801	125	125	125	125	125	125	125	125
5	नगरीय विकास एवं आवास	**22**–4216, 4217	75	75	75	75	75	75	75	75
6	अनुसूचित जनजाति	**33**–4202, 4225	90	90	90	90	90	90	90	90
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	**30**–4515 **53**–4217, 4515	225	225	225	225	225	225	225	225
8	चिकित्सा शिक्षा	**52–4210**	65	65	65	65	65	65	65	65

नोट – यह विशेष व्यय सीमा ऊपर वर्णित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत आने वाली सभी मदों के लिये है। यदि किसी विभाग को निर्धारित व्यय सीमा के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हो तो वह पृथक से प्रस्ताव भेजे ।

वित्त विभाग से अनुमति उपरांत ही आहरण योग्य योजनाएं

क्रं0	विभाग का नाम	योजना का क्रमॉक एवं नाम
1	कृषि	5319 – मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना
2		6276 – आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने के लिए
3	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	5206 – निर्मल भारत अभियान
4		6923 – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
5		5198– प्रधानमंत्री आवास योजना
6		7467 – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
7		7668 – स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान, राज्य करों में हिस्सा
8		4610 – अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान
9	नगरीय विकास एवं आवास	1238 – अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन (अमृत)
10		1237 – हाउसिंग फॉर ऑल
11		7705 – स्मार्ट सिटी
12		7668 – स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान, राज्य करों में हिस्सा
13		7144 – मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम
14		8860 – वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तर
15		7336 – एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (एडीबी)
16		5374 – मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (एडीबी फेस–2)
17	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2123 – मैग्निफिसेंट एम.पी. इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम
18	गृह	6329 – नवीन भर्ती प्रकिया पर व्यय
19		3059 – मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना
20	महिला एवं बाल विकास	5067 – लाडली लक्ष्मी योजना–42–007
21	स्कूल शिक्षा	6484 – आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति

वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रपत्र

क्रं0	विषय	विवरण
1	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा ।	
2	कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा ।	
3	बजट प्रावधान, आवंटन, अद्यतन व्यय एवं शेष राशि	
4	यदि राशि आहरण कर बैंक खातें में रखी जावेगी तो योजनांतर्गत संचालित बैंक खातों की जानकारी (अंतिम शेष सहित)	
5	यदि राशि आहरण कर बैंक खातें में नहीं रखी जावेगी तो इस हेतु प्रमाण–पत्र दें ।	
6	अन्य	

नोट – आहरण अनुमति के प्रस्तावों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न की जाए ।